

तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या: डी0ई0-25 (13) / 149 /

वि0कार्य / 2017-18 / विभिन्न / खण्ड-II / 605

दिनांक 22/3/18

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषय:- विधानसभा तारांकित / ~~अतारांकित~~ / ~~अश्वमसन~~ संख्या ~~87~~ दिनांक ~~23.3.18~~ के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक ~~23-3-18~~ को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त तारांकित / ~~अतारांकित~~ प्रश्न / ~~अश्वमसन~~ संख्या की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

तारांकित प्रश्न संख्या :- 87

दिनांक :- 23.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पंकज पुष्कर

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर														
(क) दिल्ली के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है;	प्राथमिक विद्यालय नगर निगमों द्वारा संचालित किये जाते हैं। दिल्ली सरकार प्राथमिक विद्यालय नहीं चलाती हैं।														
(ख) क्या विद्यार्थी-शिक्षक का अनुपात आरटीई एक्ट में निर्धारित अनुपात के अनुसार है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।														
(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में यह अनुपात 40:1 है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में यह अनुपात 41:1 है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में अनुपात 37:1 है।														
(घ) दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त दिल्ली के निजी स्कूलों में विद्यार्थी-शिक्षक का निर्धारित अनुपात क्या है;	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 की अनुसूची में प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों के बारे में विद्यार्थी - शिक्षक अनुपात को निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है:- <table border="1" data-bbox="635 757 1216 1075"> <thead> <tr> <th>प्रवेश किये गये बालक</th> <th>शिक्षकों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 तक</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>61 से 90 के मध्य</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>91 से 120 के मध्य</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>121 और 200 के मध्य</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>150 बालकों से अधिक</td> <td>5 व एक प्रधान शिक्षक</td> </tr> <tr> <td>200 बालकों से अधिक छात्र</td> <td>छात्र - शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।</td> </tr> </tbody> </table> <p>छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिये कम से कम एक शिक्षक हो:- <ol style="list-style-type: none"> विज्ञान और गणित सामाजिक अध्ययन भाषा प्रत्येक 35 बालकों के लिये एक शिक्षक। जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ :- <ol style="list-style-type: none"> एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक अ. कला शिक्षा ब. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स. कार्य शिक्षा 	प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या	60 तक	2	61 से 90 के मध्य	3	91 से 120 के मध्य	4	121 और 200 के मध्य	5	150 बालकों से अधिक	5 व एक प्रधान शिक्षक	200 बालकों से अधिक छात्र	छात्र - शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या														
60 तक	2														
61 से 90 के मध्य	3														
91 से 120 के मध्य	4														
121 और 200 के मध्य	5														
150 बालकों से अधिक	5 व एक प्रधान शिक्षक														
200 बालकों से अधिक छात्र	छात्र - शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।														
(ङ) इन स्कूलों में विद्यार्थी-शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है; और	दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में विद्यार्थी-शिक्षक का अनुपात UDISE आनलाइन डाटाबेस के अनुसार निम्न है:- एम.सी.डी. - 38:1 शिक्षा निदेशालय - 30:1														
(च) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है, वास्तविक स्थिति एवं पूर्ण विवरण दें।	नगर निगमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार:- "पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है।" "उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता है तथा स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के नियम की प्रतिलिपि संलग्न है।" "क्षेत्रीय-उप निदेशक-से प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है।"														

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI -110054

Annexure

No.F.23 (6)/DE/RTE/2011/ 590-533

Date: 25/8/13

CIRCULAR

Subject: - Guidelines for composition of School Management Committee (SMC) under the RTE Act and its functions.

In pursuance of powers conferred by Rule 26 of Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 following guidelines are issued regarding School Management Committees envisaged under Section 21 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as amended up to date and Rule 3 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2011. All the Heads of schools of Delhi except of those specified in sub-clause (iv) of clause (n) of Section 2 are hereby directed to constitute School Management Committee in their respective schools consisting of 16 members as under :-

SLNo.	Actual Designation	Status in the Committee	No. of Members
1.	Principal/HOS	Member / Ex-officio Chairperson of SMC	One
2.	Parents/Guardians of Children	Members	Twelve
3.	Elected Representative of the Local Authority	Member	One
4.	Teacher of the School	Member /Convener	One
5.	Social worker involved in the field of Education	Member	One

- Note: - 1. One Social Science Teacher, One Math Teacher and One Science Teacher shall be special invitees.
2. Fifty percent of the members of this committee shall be women.
3. There shall be a proportionate representation of parents/guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker sections.
4. Vice Chairperson shall be from amongst the parent members.

The School Management Committee so constituted shall follow the following guidelines:-

Selection of Vice Chairperson

The Vice-Chairperson shall be elected by parent members of SMC from amongst themselves.